न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 317/2024

अनवान : –

1. पप्पुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
2. मुन्नी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
3. निर्मला पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
5. निशा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
6. जमना पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 27/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 9 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 333/379 मु0न0 15 के किला न0 15 की तथा प0न0 334/379 मु0न0 16 के किला न0 6/1, 6/2, 7 ता 9, 11 ता 15 2.5300 हैक्ट भूमि जो वादी के पिता रामप्रताप की मृत्यु के बाद राजस्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता ओमप्रकाश तथा प्रतिवादी संख्या 6, 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की शादी हो चुकी है और अपने ससुराल में रहती है तथा इस भूमि को कभी काश्त नही किया है न ही कभी लगान अदा किया है केवल विरासतन नामान्तरण उनके नाम से दर्ज हुआ है प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 ने अपने दोनो भाईयों वादी व मृतक ओमप्रकाश के हक में छोड़ दी है इसलिए इस भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी काश्त करता है तथा 1/2 हिस्सा भूमि पहले ओमप्रकाश और अब ओमप्रकाश की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काश्त करते है क्योंकि मृतक ओमप्रका की लड़किया प्रतिवादी संख्या 3 व 5 शादी शुदा है और अपने ससुराल में रहती है तथा लड़किया प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 शादी शुदा है इन्होने अपना हक हिस्सा अपने भाई प्रतिवादी संख्या 1 अपनी माता प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 उक्त भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काफी अर्सा पूर्व बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसका नजरी नक्शा संलग्न है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 मुताबिक बंटवारा खाता व लगान अलग करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा करवाकर खाता व लगान अलग करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण ओमप्रकाश, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वादी स0 1, प्रतिवादीया संख्या 6 ता 7 व मृतक ओमप्रकाश के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ओमप्रकाश का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व ओमप्रकाश के वारिसान के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वा[illegible] पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:02 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकग[illegible]नन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत [illegible]रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 9 केएनएन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के खाता संख्या 11/6 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि वादी, प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 व ओमप्रकाश प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि ओमप्रकाश का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व ओमप्रकाश के वारिसान के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक ओमप्रकाश के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 11/6 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 व मृतक ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 334/379 मु0न0 16 के किला न0 9/2 की 0.240 हैक्ट, किला न0 6/1 की 0.026 हैक्ट, 6/2 की 0.227 हैक्ट, किला न0 7 की 0.2530 हैक्ट, 8 की 0.2530 हैक्ट, किला न0 14/1 की 0.127 हैक्ट, 15/1/1 की 0.013 हैक्ट, 15/2/1 की 0.126 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0न0 333/379 के मु0न0 15 के किला न0 15 की 0. 2530 हैक्ट, प0न0 334/379 के मु0न0 16 के किला न0 9/1 के पश्चिम की तरफ की 0.013 हैक्ट, किला न0 11 की 0.2530 हैक्ट, 12 की 0.2530 हैक्ट, 13/1 की 0.025 हैक्ट, 13/2 की 0.022 हैक्ट, 14/2 की 0.126 हैक्ट, किला न0 15/1/2 की 0.013 हैक्ट किला न0 15/2/2 की 0.101 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:02 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 317/2024
अनवान : –

1. पप्पुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
2. मुन्नी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
3. निर्मला पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
5. निशा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
6. जमना पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 317 सन 2024 निर्णय दिनांक – 27/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हरिसिंह सिहाग एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 11/6 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 व मृतक ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 334/379 मु0न0 16 के किला न0 9/2 की 0.240 हैक्ट, किला न0 6/1 की 0.026 हैक्ट, 6/2 की 0.227 हैक्ट, किला न0 7 की 0.2530 हैक्ट, 8 की 0.2530 हैक्ट, किला न0 14/1 की 0.127 हैक्ट, 15/1/1 की 0.013 हैक्ट, 15/2/1 की 0.126 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0न0 333/379 के मु0न0 15 के किला न0 15 की 0. 2530 हैक्ट, प0न0 334/379 के मु0न0 16 के किला न0 9/1 के पश्चिम की तरफ की 0.013 हैक्ट, किला न0 11 की 0.2530 हैक्ट, 12 की 0.2530 हैक्ट, 13/1 की 0.025 हैक्ट, 13/2 की 0.022 हैक्ट, 14/2 की 0.126 हैक्ट, किला न0 15/1/2 की 0.013 हैक्ट किला न0 15/2/2 की 0.101 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:02 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/5/2024 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर